

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन)

विधेयक, 2026

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 5
सन् 2004 की
धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(ग) वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक तीन प्रतिशत पर बनाये रखेगी।”

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(च) यह सुनिश्चित करेगी कि क्रमशः वर्ष 2026—2027, 2027—2028, 2028—2029, 2029—2030 और 2030—2031 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक 30 प्रतिशत पर बना रहे;”

उद्देश्य और कारण

सोलहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है कि राजकोषीय समेकन के भाग के रूप में राज्यों को वर्ष 2026–2027, 2027–2028, 2028–2029, 2029–2030 और 2030–2031 में से प्रत्येक वर्ष अपने राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 03 प्रतिशत पर बनाये रखना चाहिये।

भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार राज्य सरकार राजकोषीय घाटे की सीमा नियत करने हेतु आशयित है।

राज्य सरकार, सम्बंधित वर्ष 2026–2027, 2027–2028, 2028–2029, 2029–2030 और 2030–2031 की समाप्ति पर अपना ऋण स्टॉक, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक 30 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु भी आशयित है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
वित्त।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004

वित्तीय प्रबन्ध नीतियां धारा 4-(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

* * *

(ग) वर्ष 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः चार प्रतिशत, साढ़े तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी:

परन्तु यह कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदंड के आधार पर वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।

परन्तु यह और कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–2026 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।

* * *

* * *

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 31 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाये;

परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी;

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2026

A
BILL

*further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget
Management Act, 2004.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India
as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Short title
Management (Amendment) Act, 2026.

Amendment of
Section 4 of U.P.
Act no. 5 of 2004

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 , in sub-section (3),–

(a) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:-

“(c) maintain fiscal deficit at not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031;”

(b) *for* clause (f), the following clause shall be *substituted*, namely:-

“(f) ensure that the total debt stock is maintained at not more than 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031 respectively;”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Sixteenth Central Finance Commission has made recommendation to the effect that as part of fiscal consolidation, the States should maintain their fiscal deficit to a maximum of 3 percent of the estimated Gross State Domestic Product in each of the Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031.

The Government of India has accepted this recommendation. The State Government is intended to fix ceiling Fiscal Deficit accordingly.

The State Government is also intended to limit its Debt Stock to not more than 30 percent of the estimated Gross State Domestic Product at the end of the respective Years 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 and 2030-2031.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2026 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA
Mantri,
Vitt.